कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0/निस्ता0 मानक/ 134 /2025 :: लखनऊ, 17, जनवरी–2025

–:: परिपत्र ::–

निस्तारण–मानक के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत परिपत्र संख्या–व्या0क0अधि0/निस्ता0मानक/2249/2012 दिनांक 19.09.2012 को अतिक्रमित/संशोधित करते हुये निम्न प्रकार निस्तारण मानक निर्धारित किया जाता है :–

क0सं0	अपील की प्रकृति	निस्तारण मानक
1	एक सदस्यीय नियमित अपीलें	04 अपील प्रति कार्य दिवस
2	दो सदस्यीय नियमित अपीलें तथा धारा–10बी/56 की अपीलें	03 अपील प्रति कार्य दिवस
3	स्थगन आदेशों के विरूद्ध दायर अपीलें	06 अपील प्रति कार्य दिवस
4	दूषित अपीलें / विविध आदेशों के विरूद्ध दायर अपीलें	06 अपील प्रति कार्य दिवस
5	धारा–22 (उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम) व धारा–31 (उ0प्र0 वैट अधिनियम) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र	06 प्रार्थना पत्र प्रति कार्य दिवस
6	पूर्ण पीठ/बृहत्तर पीठ द्वारा निस्तारित अपीलें	01 अपील प्रति कार्य दिवस
7	उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम की धारा–10(4) अथवा उ0प्र0 वैट अधिनियम की धारा–57(7) के अन्तर्गत निस्तारित अपीलें	निस्तारण मानक –शून्य–

भविष्य में उपरोक्तानुसार निर्धारित मानक के अनुसार ही अधिकरण में कार्यरत समस्त सदस्यगण निस्तारण मानक का दावा करते हुये न्यायालय कार्य विवरण पत्र तैयार कराकर निस्तारित वादों की सूची सहित मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

ह0/17.01.2025
(प्रतिमा श्रीवास्तव)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन– वा0क0अधि0/न्या0का0वि0/ 134 /2025 :: लखनऊ, दिनांक :: उक्त ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

2– परिपत्र की गार्ड फाइल पर रखने हेतु।

3– वेब अधिकारी (मुख्यालय) को विभागीय साइड पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)
निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पत्रांक–वा0क0अधि0 / बजट / बी0एम0–13 / 2024–2025 / ____ / 2025

प्रेषक,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

विशेष सचिव,
राज्य कर अनुभाग–4,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

लखनऊःःदिनॉकःः 3 जनवरी, 2025

विषयः–वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट प्राविधानों के सापेक्ष व्यय की स्थिति प्रपत्र–बी0एम0–13 पर सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के अर्ध शासकीय पत्र सं0–बी0–1–3318 / दस–22 / 98, दिनांक 28.07.98 तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–एस0ई0–5041 / दस–99–ई.एम.–115 / 87, दिनांक 04.11.99 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अतः निर्देशानुसार शासन के संदर्भित पत्रों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–2025 के अनुदान संख्या–89 के लेखाशीर्षक–2040–बिक्री व्यापार आदि पर कर, 800–अन्य व्यय, 04–वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के अन्तर्गत प्राविधानित बजट प्राविधानों के सापेक्ष **माह दिसम्बर–2024** तक के विभागीय व्यय की स्थिति निर्धारित प्रपत्र–बी0एम0 13 पर (दो प्रतियों में) इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकःःयथोक्त।

भवदीय,

(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकनःःसं0–वा0क0अधि0 / बजट / बी0एम0–13 / 2024–2025 / 52 / 2025 दि0 उक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अनु सचिव वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उक्त प्रपत्र–बी0एम0–13 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– वरिष्ठ सहायक(कम्प्यूटर) / वेव अधिकारी, मुख्यालय को उक्त बी.एम.–13 की प्रति बेबसाइट हेतु।

संलग्नकः– यथोक्त।

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।